

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना


संख्या:-3/स्था0अं0अ0-16/2012-.....169.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 7 /05/2012

समाहर्ता, नालंदा के पत्रांक-3170 दिनांक-21.09.2012 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टवया प्रमाणित आरोप के लिए श्री विश्वनाथ प्रसाद, अंचल अधिकारी, राजगीर, नालंदा को विभागीय आदेश सं0-823 दिनांक-27.11.2012 द्वारा निलंबित किया गया था।

2. श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर विभागीय आदेश सं0-55 दिनांक-29.01.2013 द्वारा निलम्बन मुक्त किया गया है। निलम्बन मुक्ति के उपरान्त श्री प्रसाद द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया।

3. श्री प्रसाद को निलम्बन मुक्ति के उपरान्त अंचल अधिकारी, राजगीर, नालंदा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


215113
(दीपलाल दीपक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-3/स्था0अं0अ0-16/2012-.....169.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 7 /05/2012


प्रतिलिपि:-सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बन्धित समाहर्ता/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित उप कोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


215113
(दीपलाल दीपक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-3/स्था0अं0अ0-16/2012-.....169.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 7 /05/2012


प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


215113
(दीपलाल दीपक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-3/स्था0अं0अ0-16/2012-.....169.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक- 7 /05/2012

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


215113
(दीपलाल दीपक)

सरकार के अवर सचिव